

# फर्द अहकाम

[ नियम 26 ]

महोदय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

इनीतर

बनाम

राजग

मुकदमा

प्रा.पत्र

नं०

सन्

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/18	<p>प्रा.पत्र दर्ज नही है / अप्राप्ति का तब तक ही कि. 22/13/18 तब तक ही।</p> <p><b>उप खण्ड अधिकारी अलवर</b></p> <p>22/13/18</p> <p>राजस्थान वार्ड/पुलिस ज.०। पीठासीन अ.०। अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण पत्रावली बास्तु ..... दिनांक को पेश हो। तब तक / 19-4-18</p> <p>रीडर</p>	<p>UT 1, 4 लंबे 8 व 9, 16 लंबे 20</p> <p>राजग</p> <p>महोदय 12/13/18</p>
17-4-18	<p>राजस्थान लोक अदालत अभिमान आयोजित किए जाने के संबंध में राजस्थान मुप-1 विभाग के पत्र दिनांक 21.04.2018 में दिखे गये दिशा निर्देशों की पालना में आज यह पत्रावली नरे समक्ष पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया। मेरी राय में शकटण लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया जाना योग्य है। अतः पत्रावली उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखकर लोक अदालत के समक्ष दिनांक 1-5-18 को पेश हो।</p> <p><b>उपखण्ड अधिकारी अलवर</b></p>	
1-5-18	<p>पत्रावली - आज आपके द्वारा अदालत सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सिफूर में पेश हुई। प्रतिवाली उपरोक्त वाद प्रतिवाली की सहमति के आधार पर प्रारम्भिक शिष्टी की पुष्टा है। अतः प्रा.पत्र मूल वाद के साथ प्रालोचन के रूप में पेश हो।</p> <p><b>उप खण्ड अधिकारी अलवर (राजग)</b></p>	<p>12/13/18</p> <p>राजग</p> <p>उपखण्ड अधिकारी अलवर (राजग)</p>

दलीप सिंह एडवोकेट बैंच सदस्य राजस्थान लोक अदालत

मदन लाल गायल सेवानिवृत्त तहसीलदार बैंच सदस्य राजस्थान लोक अदालत

उप खण्ड अधिकारी अलवर (राजग)

12/13/18

राजग

उपखण्ड अधिकारी अलवर (राजग)